

चिकित्सीय वित्तीय सहायता नीति सारांश

Kaiser Permanente का चिकित्सीय वित्तीय सहायता (Medical Financial Assistance, MFA) कार्यक्रम उन पात्र मरीजों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिन्हें Kaiser Permanente में मिलने वाली या Kaiser Permanente प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली आपातकालीन या चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए भुगतान करने में सहायता की आवश्यकता है। मरीज MFA कार्यक्रम में कई तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें -ऑनलाइन, व्यक्तिगत रूप से, फ़ोन द्वारा, अथवा एक कागजी आवेदनपत्र भरकर प्रस्तुत करना शामिल है। पात्र होने के लिए मरीजों को निम्नलिखित मानदंड आवश्यकताओं को पूर्ण करना आवश्यक है।

वित्तीय सहायता के लिए कौन पात्र है, और क्या आवश्यकताएं हैं?

यह कार्यक्रम निम्न आय वाले, बीमाकृत नहीं, अथवा अयोग्य मरीजों की सहायता करता है, जिन्हें अपने चिकित्सीय देखभाल का पूर्ण या आंशिक भुगतान करने में सहायता की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, मरीज वित्तीय सहायता के लिए तब पात्र होते हैं, जब उनकी सकल घरेलू आय, संघीय निर्धनता दिशानिर्देश (Federal Poverty Guidelines, FPG) के 300% पर या इससे कम होती है, अथवा असामान्य रूप से उच्च चिकित्सीय व्यय होता है। पात्रता निर्धारण तथा आवेदन करने में सहायता के लिए मरीजों को, Kaiser Permanente के किसी भी सुविधा व्यवसाय कार्यालय या चेक-इन डेस्क के कर्मचारी से बात करनी चाहिए।

जो मरीज, चिकित्सीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र होते हैं, उनसे आपातकालीन स्थिति या अन्य चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए सामान्य रूप से बिल की गई राशि (Amounts Generally Billed, AGB) से अधिक राशि अधिभारित नहीं की जाती है। AGB के बारे में सूचना के लिए kp.org/mfa/wa को देखें।

क्या Kaiser Permanente सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रम पात्रता के लिए मरीजों को स्क्रीन करता है?

Kaiser Permanente मरीजों को संभावित सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम की पहचान करने में सहायता करता है, जो उनकी स्वास्थ्य देखभाल पहुंच आवश्यकताओं में सहायता कर सकते हैं। कोई ऐसा मरीज जो किसी सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम के लिए पात्र समझा जाता है, उसे उन कार्यक्रमों में आवेदन करना होता है।

कार्यक्रम में क्या चीज़ें कवर हैं?

चिकित्सीय वित्तीय सहायता कार्यक्रम में किसी Kaiser Permanente चिकित्सा कार्यालय, अस्पताल, फार्मसी पर अथवा किसी Kaiser Permanente प्रदाता द्वारा प्रदान की गई चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल कवर होती है। कवर नहीं की गई सेवाओं के प्रकार में ये चीज़ें शामिल हैं - ऐसी सेवाएं जिन्हें किसी Kaiser Permanente प्रदाता द्वारा आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक नहीं माना जाता है, बंध्यता उपचार, तथा सरोगेसी सेवाएं, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा प्रीमियम। कृपया MFA नीति में पूर्ण सूची देखें।

क्या कोई भाषा सहायता है?

दुभाषिये उपलब्ध हैं, जिनके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। यदि आपको किसी दुभाषिये की मदद से किसी से बात करना है, तो कृपया सदस्य सेवाओं को 1-888-901-4636 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट kp.org/mfa/wa पर जाएं।

क्या Kaiser Permanente की कोई वित्तीय सहायता नीति है?

आप Kaiser Permanente की चिकित्सीय वित्तीय सहायता नीति की अपनी निःशुल्क प्रति के लिए 800-992-2279, पर कॉल करें, kpwa.resource-L@kp.org पर ईमेल करें या kp.org/mfa/wa पर हमारी वेब साइट देखें।

सहायता चाहिए?

चिकित्सीय वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया के बारे में सहायता या प्रश्नों के लिए कृपया 800-442-4014, पर कॉल करें या किसी भी Kaiser Permanente सुविधा व्यवसाय कार्यालय या चेक-इन डेस्क के कर्मचारी से बात करें।

मैं आवेदन कैसे करूँ?

आप चिकित्सीय वित्तीय सहायता के लिए कई तरीकों से आवेदन कर सकते हैं -- कार्यक्रम की जानकारी हेतु अनुरोध करने के लिए 888-901-4636 पर सदस्य सेवाओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके या तो ऑनलाइन अथवा फ़ोन द्वारा, अथवा निम्नलिखित से किसी भी स्रोत से कागजी आवेदनपत्र का अनुरोध करके:

- kp.org/mfa/wa पर ऑनलाइन
- किसी भी Kaiser Permanente सुविधा व्यवसाय कार्यालय या चेक-इन डेस्क के कर्मचारी
- 800-992-2279 पर कॉल करके
- इस पते पर मेल द्वारा (किसी व्यय के बिना) kpwa.resource-L@kp.org
- kp.org/mfa/wa पर जाकर Kaiser Permanente कम्प्युनिटी वेबसाइट के माध्यम से एक आवेदनपत्र डाउनलोड करें।

कृपया भरे हुए आवेदनपत्र (सभी आवश्यक दस्तावेज़ों तथा आवेदनपत्र निर्देश में निर्दिष्ट सूचना समेत)

-- किसी भी निकटतम Kaiser Permanente सुविधा व्यवसाय कार्यालय या चेक-इन डेस्क में व्यक्तिगत रूप से भेजें

-- डाक द्वारा इस पते पर भेजें: Kaiser Permanente, Medical Financial Assistance, P.O. Box 34584, Seattle, WA 98124-1584

-- 206-877-0640 पर फ़ैक्स करें।

Kaiser Permanente जमा किए गए आवेदनों की समीक्षा उनके पूरा होने के बाद करेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या आप Kaiser Permanente की चिकित्सीय वित्तीय सहायता नीति के अनुसार पात्र हैं। अधूरे आवेदन प्रक्रिया में देरी या आपके MFA आवेदन के अस्वीकार होने का कारण बन सकते हैं लेकिन, Kaiser Permanente आवेदकों को सूचित करके आवश्यक समय सीमा में अधूरे दस्तावेज़ या जानकारी भेजने का अवसर देगा।